



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण 1946 ( २० )

(सं० पटना ६८८) पटना, बुधवार, 24 जुलाई 2024

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

23 जुलाई 2024

सं० वि०स०वि०-२०/२०२४-२७५४/वि०स० |— “बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024”, जो बिहार विधान सभा में  
दिनांक 23 जुलाई, 2024 को पुरस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-११६ के  
अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,  
ख्याति सिंह,  
प्रभारी सचिव।

## बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024

[वि०स०वि०-13/2024]

**बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) का संशोधन करने के लिए  
विधेयक।**

भारत—गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-**
  - (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
  - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
  - (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-19 का संशोधन।-**
  - (i) उक्त अधिनियम की धारा 19 में आए शब्द “मुख्य पार्षद” के बाद “उप मुख्य पार्षद” शब्द अंतःस्थापित किया जायेगा।
3. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-24 का संशोधन।-**
  - (i) उक्त अधिनियम की धारा 24 में आए शब्द “मुख्य पार्षद” के बाद शब्द “उप मुख्य पार्षद” अंतःस्थापित किया जायेगा।
4. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-25 का संशोधन।-**
  - (i) उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (3) को विलोपित किया जायेगा।
5. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-27आ का संशोधन।-**
  - (i) उक्त अधिनियम की धारा 27आ की उपधारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
    - (2) इस अधिनियम और इसके अंतर्गत निर्मित किसी नियमावली या उपविधि के द्वारा निर्धारित प्रशासन चलाने के लिए नगरपालिका के कार्यपालक कृत्य मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी में निहित होंगे।"
  - (ii) उक्त अधिनियम की धारा 27आ की उपधारा (7) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
    - (7) किसी कारण से मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों में यथा विनिर्दिष्ट अथवा इस अधिनियम में अन्यत्र अथवा इसके अंतर्गत निर्मित किसी नियमावली के अन्तर्गत मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग नगरपालिका के उस पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा जिसे इस हेतु मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के द्वारा नामित किया जाय।"
6. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-52 का संशोधन।-**
  - (i) उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के बाद निम्नलिखित उपधारा (5) जोड़ा जायेगा :-
    - (5) नगरपालिका की किसी बैठक में राज्य सरकार के किसी नियम/निर्देश के विरुद्ध अथवा उससे असंगत प्रस्ताव पर अनुमोदन/विचार नहीं किया जायेगा। इस प्रकार के प्रस्ताव पर मुख्य पार्षद अथवा पीठासीन पदाधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। यदि इस प्रकार का प्रस्ताव नगरपालिका के किसी बैठक में लाया जाता है तो इसे मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा विचार हेतु राज्य सरकार को भेजा जाएगा और इस संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
7. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-55 का संशोधन।-**
  - (i) उक्त अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
    - (1) नगरपालिका की प्रत्येक बैठक में केवल सदस्यों की ही भागीदारी होगी।"
8. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-60 का संशोधन।-**
  - (i) उक्त अधिनियम की धारा 60 के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा :-
 

“परन्तु यह कि नगरपालिका तथा नगरपालिका समिति की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त बैठक के आयोजन की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से निर्गत किया जायेगा। बैठक का कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा जो इस पर सदस्य सचिव के रूप में अपना हस्ताक्षर करेंगे और इसे मुख्य पार्षद अथवा बैठक की अध्यक्षता कर रहे पार्षद को हस्ताक्षर हेतु भेजा जायेगा और मुख्य पार्षद अथवा

- बैठक की अध्यक्षता कर रहे पार्षद के हस्ताक्षर के उपरान्त बैठक का कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।
- 9. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा—80 का संशोधन।—**
- (i) उक्त अधिनियम की धारा 80 में आए शब्द “विनियम” को शब्द “नियम/विनियम” से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 10. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा—143 का संशोधन।—**
- (i) उक्त अधिनियम की धारा 143 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-  
**“143. अपील—(1)** अपनी आपत्ति पर पारित आदेश से असंतुष्ट किसी व्यक्ति के द्वारा नगर निगम के मामले में संबंधित प्रमङ्गलीय आयुक्त एवं नगर परिषद् तथा नगर पंचायत के मामले में संबंधित जिला पदाधिकारी के यहाँ अपील की जा सकेगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा।  
**(2)** ऐसी अपील धारा—142 के अन्तर्गत आदेश पारित होने के तीस दिनों के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा। अपील के साथ आपत्ति पंजी एवं पारित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न रहेगी एवं इसका निष्पादन राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित रीति से किया जायेगा।  
**(3)** इस धारा के अन्तर्गत सभी अपील पर भारतीय परिमितता अधिनियम, 1908 के भाग—II के प्रावधान लागू होंगे।  
**(4)** धारा 142 के अन्तर्गत प्रथम बार जिन आपत्तियों का निर्धारण नहीं हुआ हो उन पर अपील स्वीकार्य नहीं होगी।  
**(5)** प्रमङ्गलीय आयुक्त या जिला पदाधिकारी के निर्णय को मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा लागू किया जायेगा।  
**(6)** इस धारा के अन्तर्गत अपील पर निर्णय लंबित रहने पर कर निर्धारण या देय होलिडंग करों अथवा उनकी किस्तों की वसूली पर रोक नहीं रहेगी किन्तु अपील के अधीन कर निर्धारण पर ऐसा निर्धारण होता है कि ऐसा कर नहीं लगाया जाना था या ऐसे कर अथवा उसकी किस्त की वसूली नहीं की जानी थी, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा ऐसा व्यक्ति को ऐसे वसूले गये कर अथवा अधिक वसूले गये अंश की वापसी पारित अंतिम निर्णय के आलोक में की जायेगी अथवा भविष्य में उद्भूत होने वाले मांग के विरुद्ध उसका समायोजन किया जा सकेगा।
- 11. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा—147 का संशोधन।—**
- (i) उक्त अधिनियम की धारा 147 में आए शब्द “विनियमों” को शब्द “नियमों/विनियमों” से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 12. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा—148 का संशोधन।—**
- (i) उक्त अधिनियम की धारा 148 में आए शब्द “विनियम” को शब्द “नियम/विनियम” से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 13. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा—150 का संशोधन।—**
- (i) उक्त अधिनियम की धारा 150 में आए शब्द “विनियमों” को शब्द “नियमों/विनियमों” से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 14. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा—151 का संशोधन।—**
- (i) उक्त अधिनियम की धारा 151 में आए शब्द “विनियम” को शब्द “नियम/विनियम” से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 15. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा—152 का संशोधन।—**
- (i) उक्त अधिनियम की धारा 152 में आए शब्द “विनियमों” को शब्द “नियमों/विनियमों” से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 16. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा—221 का संशोधन।—**
- (i) उक्त अधिनियम की धारा 221 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-  
**“221. ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन एवं संचालन का सौंपा जाना तथा प्रभार का बिल तैयार करना और उनका संग्रहण।—** इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नगरपालिका द्वारा ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन और संचालन के प्रयोजनार्थ तथा ऐसे ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव से संबद्ध बुनियादी सुविधा यदि कोई हो, के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित नियम/विनियम के अनुसार प्रभार उद्गृहित किया जाएगा और उसका

भुगतान ऐसी दर पर किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार या नगरपालिका समय—समय पर नियत करें, परन्तु इस संबंध में किसी भी कार्य हेतु यदि राज्य सरकार द्वारा पूर्व से कोई दर निर्धारित किया गया हो, तो वही लागू होगा।

परन्तु यह कि यथापूर्वकत प्रभार यथासाध्य ऐसा होगा जिससे कि इसमें नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन एवं संचालन तथा उसके संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव हेतु बुनियादी सुविधाओं, यदि हो, मद में लागत तथा ऋण शोधन कार्य की लागत, संयंत्र एवं मशीनरी का मूल्य हास और अन्य प्रभार, यदि हो, सम्मिलित हो;

परन्तु यह और कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के पूर्वानुमोदन से ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव संबंधी और संचालन और पूर्वोक्त प्रभार के बिल की तैयारी और उसके संग्रहण संबंधी कार्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अभिकरण को अथवा किसी अन्य अभिकरण को सौंप सकेगा।"

परन्तु यह और कि राज्य सरकार किसी भी नगरपालिका के लिए विकेन्द्रीकृत रूप से या नगरपालिका के समूह/कलस्टर का गठन करके केन्द्रीकृत रूप से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव का निर्णय ले सकती है, जिसमें एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया राज्य सरकार या किसी नगरपालिका द्वारा की जा सकती है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाय।

17. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा—228 का संशोधन।—**
  - (i) उक्त अधिनियम की धारा 228 में आए शब्द "विनियम" को शब्द "नियम/विनियम" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
18. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा—419 का संशोधन।—**
  - (i) उक्त अधिनियम की धारा 419 की उपधारा (3) को विलोपित किया जायेगा।
19. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा—421 का संशोधन।—**
  - (i) उक्त अधिनियम की धारा 421 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:—  
**"421. विनियम बनाने की शक्ति।—राज्य सरकार/नगरपालिका समय—समय पर, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ, इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुरूप विनियम बना सकेगी।"**
20. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा—422 का संशोधन।—**
  - (i) उक्त अधिनियम की धारा 422 की उप धारा (ख) में आए शब्द "नगरपालिका" को शब्द "नगरपालिका/राज्य सरकार" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
  - (ii) उक्त अधिनियम की धारा 422 की उप धारा (ग) में आए शब्द "सशक्त स्थायी समिति" को शब्द "सशक्त स्थायी समिति /राज्य सरकार" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
21. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा—425 का संशोधन।—**
  - (i) उक्त अधिनियम की धारा 425 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:—  
**"425. विनियम के बारे में अनुपूरक उपबन्ध।— कोई विनियम, जो इस अधिनियम के अधीन बनाया जा सके, वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् राज्य सरकार/नगरपालिका द्वारा आवश्यकतानुसार बनाया जा सकेगा।"**

ख्याति सिंह,  
प्रभारी सचिव।

**उद्देश्य एवं हेतु**

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद का प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचित होने का प्रावधान है, परन्तु वार्ड पार्षदों के द्वारा इनके विरुद्ध दो वर्ष के उपरान्त अविश्वास प्रस्ताव लाने तथा उसके उपरान्त पुनः एक-एक वर्ष के अन्तराल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान रहने के फलस्वरूप निर्वाचित पार्षदों के बीच गुटबाजी एवं अनुचित दबाव के कारण नगरपालिकाओं के विकास एवं अन्य कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मुख्य पार्षद/उपमुख्य पार्षद के विरुद्ध वार्ड पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना प्रासंगिक नहीं है एवं अविश्वास प्रस्ताव संबंधी प्रावधानों को विलोपित किया जाना आवश्यक है। यही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभिष्ट है।

(नितिन नवीन)  
भार-साधक सदस्य

पटना  
दिनांक—23.07.2024

ख्याति सिंह,  
प्रभारी सचिव  
बिहार विधान सभा, पटना।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 688-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>